



# भारतीय अन्तर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण

(पोत परिवहन मंत्रालय, भारत सरकार)

मुख्यालय: ए-13, सैक्टर-1, नौएडा-201 301 (उ.प्र.)

## INLAND WATERWAYS AUTHORITY OF INDIA

(Ministry of Shipping, Govt. of India)

Head Office : A-13, Sector-1, Noida-201 301 (U.P.)

Tele. : Code-95120 - 2544036, 2521684, 2522798, 2521724 Fax : 2544009, 2544041, 2543973, 2521764

No. IWAI/Fin./07/2012

Date: 01.05.2013

### CIRCULAR

In continuation to letter of even no., dt. 11.03.2013, it is to inform that Inland Waterways Authority of India in its 147<sup>th</sup> meeting held on 21.02.2013 has approved extension of medical reimbursement facilities to the retired/retiring pensioners of IWAI as per Central Govt. Medical Attendance Rules (CGMAR).

The guidelines alongwith relevant formats have already been sent for availing medical reimbursement facilities. You are required to submit the willingness form alongwith one time contribution by Demand Draft in favour of IWAI-Fund payable at Noida addressed to Sr. Accounts Officer, IWAI, Head Office, Noida by not later than **31<sup>st</sup> July, 2013**.

In addition to the above, you are required to send 2 nos. of passport size photograph of each dependant for issue of I.D. Card alongwith your contact number.

The above information is also available on our website [www.iwai.gov.in](http://www.iwai.gov.in).

  
(S. Jayaraman)

Executive Director (Fin.)

### To

1. All Pensioners of IWAI (As per list).
2. Regional Office – Patna, Kolkata, Guwahati & Kochi, IWAI with advise to peruse the guidelines and to process the Medical claims after receipt of willingness & contribution from Sr. Accounts Officer, IWAI, Head Office, Noida.

### Copy to:

1. Assistant Secretary, IWAI, Noida for information please.
2. Director (IT), IWAI, Noida for uploading on website.

यदि आप हमसे हिन्दी में पत्राचार करेंगे तो हमें हार्दिक प्रसन्नता होगी।



# भारतीय अन्तर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण

(पोत परिवहन मंत्रालय, भारत सरकार)

मुख्यालय : ए-13, सेक्टर-1, नौएडा-201 301, (उ० प्र०)

**INLAND WATERWAYS AUTHORITY OF INDIA**

(Ministry of Shipping, Govt. of India)

Head Office : A-13, Sector-1, Noida-201 301 (U.P.)

Website : [www.iwai.gov.in](http://www.iwai.gov.in) | [www.iwai.nic.in](http://www.iwai.nic.in)

Tel. : +91-120-2544036, 2543972, 2527667, 2448101 Fax : +91-120-2544009, 2544041, 2543973, 2521764

सं.-भा.अ.ज.प्रा./वित्त/07/2012

दिनांक-03.05.2013

## परिपत्र

दिनांक 11.03.2013 के समसंख्यक पत्र के अनुक्रम में सूचित किया जाता है कि भारतीय अन्तर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण ने दिनांक 21.02.2013 को आयोजित प्राधिकरण की 147वीं बैठक में चिकित्सा प्रतिपूर्ति सुविधा का विस्तार केन्द्रीय सरकार चिकित्सा उपस्थिति नियमावली (सी.जी.एम.ए.आर.) के अनुसार भा.अ.ज.प्रा. के सेवानिवृत्त/सेवानिवृत्त होने वाले पेंशनभोगियों तक करने का अनुमोदन प्रदान कर दिया है।

चिकित्सा प्रतिपूर्ति सुविधा का लाभ उठाने के लिए संगत प्रपत्र सहित दिशानिर्देश भेजे जा चुके हैं। आपको सहमति पत्र सहित एक बार में जमा होने वाली अंशदान राशि भा.अ.ज.प्रा.-फंड के पक्ष में जारी और नौएडा में देय डिमांड ड्राफ्ट द्वारा 31 जुलाई 2013 तक वरिष्ठ लेखा अधिकारी, भा.अ.ज.प्रा., नौएडा को जमा करानी होगी।

उपर्युक्त के अलावा आपको अपना दूरभाष संख्या सहित प्रत्येक आश्रित का पासपोर्ट आकार के दो फोटो पहचान पत्र जारी करने के लिए भेजने होंगे।

उपर्युक्त सूचना प्राधिकरण की वेबसाइट [www.iwai.gov.in](http://www.iwai.gov.in) पर भी उपलब्ध है।

एस. जयरामन

(एस. जयरामन)

कार्यपालक निदेशक (वित्त)

प्रति :-

1. सभी पेंशनभोगी (संलग्न सूची के अनुसार)
2. क्षेत्रीय कार्यालय-पटना, कोलकाता, गुवाहाटी और कोची के कार्यालय प्रमुखों को सलाह दी जाती है कि दिशानिर्देश को पढ़ने के बाद नौएडा मुख्यालय के वरिष्ठ लेखा अधिकारी से सहमति और अंशदान प्राप्त होने के बाद ही चिकित्सा दावों की प्रक्रिया शुरू करेंगे।

प्रतिलिपि :-

1. सहायक सचिव, भा.अ.ज.प्रा., नौएडा, सूचनार्थ
2. निदेशक (आई.टी.), भा.अ.ज.प्रा., नौएडा, वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।